

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - ¹⁷³²~~2230~~ / 201 / भीलवाड़ा

मैसर्स गौतम एन्टरप्राइजेज, शाहपुरा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :25.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 152/वैट/2010-2011 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 01.06.2010 के जरिये कायम की मांग राशियों को अपास्त कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में कय किये गये ऑयरन स्टील, पाईप व सीमेंट की खरीद में मनमाने ढंग से वृद्धि कर, 4 व 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित कर, बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति 2,000/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में विभागीय ठेकेदार से बजरी कय करना घोषित कर, संविदा कार्यों में प्रयुक्त करना घोषित किया गया परन्तु खरीद के सत्यापन के अभाव में उक्त कय राशि में लाभांश जोड़ते हुये, कर आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को कतिपय निर्देशों

के साथ प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित बिक्री में वृद्धि व ब्रिक्स पर करारोपण से पूर्व किसी प्रकार का विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व करारोपण की कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु नोटिस दिया जाना बाध्यकारी है अतः जब निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया तो अपीलार्थी अधिकारी द्वारा पुनः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को नोटिस जारी करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के न्यायिक दृष्टांत 338/99/बारां निर्णय दिनांक 25.11.2002 को प्रोद्धरित किया गया। गुणावगुण पर पुनः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में आवर्त को घोषित किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित आवर्त में बिना किसी ठोस आधार के वृद्धि कर, करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि करारोपण करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया है जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों की अवहेलना है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 565/2006 निर्णय दिनांक 22.06.2006, (2007) 27 एस.टी.टी. 31, (2002) 07 टैक्स अपडेट 318, (2005) 04 वी.ए.आर. 17 को प्रोद्धरित किया गया। अतः आधारों पर उक्त बिन्दु पर विवादित कर को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-58 के तहत विवरणी प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति 2,000/- के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है। अतः आरोपित शास्ति ₹2,000/- को अपास्त करने का निवेदन किया गया है ।

6. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागी ठेकेदार से कय किये पत्थर व बजरी पर किये गये करारोपण के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा

प्रतिद्विप के अनुसार विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी पर संबंधित ठेकेदार को जरिये रसीद के कर का भुगतान किया गया है परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त भुगतान किये गये कर को अस्वीकार कर, लाभांश जोड़ते हुये पुनः करारोपण किया गया है जो कि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा की समस्त रसीदें प्रस्तुत कर दी गयी थीं परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचन किये बिना ही प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अधिनियम की धारा 4 व धारा 8 की उप-धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार माल, जो यान या वाहन के माध्यम से लाया गया हो, के विक्रय या क्रय पर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन संदेय कर से किसी व्यवहारी को इसके द्वारा इस शर्त पर छूट प्रदान की गयी है कि ऐसा व्यवहारी या व्यक्ति ऐसे माल के संबंध में निर्धारित छूट फीस का संदाय कर देता है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुये कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रतिफेरे से कर का भुगतान जरिये रसीद वैट-39 के कर दिया गया है जिसके बावजूद प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा नियुक्त किये गये ठेकेदार से क्रय की गयी रेत व पत्थर पर लाभांश जोड़ते हुये कर आरोपित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट-39 के जरिये विभागीय ठेकेदार को कर का भुगतान कर दिया गया है जिसे कर योग्य माना जाये एवम् अधिक आरोपित कर का प्रतिदाय प्रदान करने की प्रार्थना कर, उक्त बिन्दु पर व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत व 12.5 प्रतिशत की दर से क्रय की वस्तुओं में लाभांश के बिन्दु पर भी प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये गये अपीलीय आदेश को अविधिक होने का तर्क देते हुये दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में जहां तक प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारीद्वारा घोषित आवर्त में बिना किसी ठोस आधार के वृद्धि कर, किये गये करारोपण व अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा नोटिस व विशिष्ट नोटिस जारी


किये जाने के अभाव में उचित रूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड पत्रावली पर करारोपण से पूर्व किसी भी प्रकार को नोटिस प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः इसके अभाव में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विवेचन कर, प्रकरण को उक्त बिन्दुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने हेतु उचितरूप से प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः उक्त बिन्दुओं पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से कय किये पत्थर व बजरी पर किये गये करारोपण का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कय की गयी बजरी विभाग के अधिकृत ठेकेदार के कर चुका कर, कय की जाकर संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त के सत्यापन के अभाव में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर माल कर प्रदत्त होने के कारण कर देयता उत्पन्न नहीं होती है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार को रसीद वैट-39 के समर्थन से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल जिसको कार्य संविदा में प्रयुक्त किया गया है, आकस्मिक माल होने के कारण क्षेत्र विशेष हेतु नियम-44 के प्रयोजनार्थ अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुकाया गया है। उक्त मुक्ति शुल्क उक्त आकस्मिक माल के कय संव्यवहार पर उत्पन्न दायित्व पर ही देय है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 सपटित अधिसूचना दिनांक 08.07.2009 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त जमा कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की कर देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् वैट इन्वॉयस के अभाव में न ही इस पर आगत कर का मुजरा देय है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से पारित किया जाना अवधारित किया जाता है। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप,

अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

10. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया ।


25/11/2014
(मदन लाल)
सदस्य